

24-02-26

पत्रावली पेशा हुई वकुलाम पक्षकारान उप। प्राथिम
की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत. निम्नलिखित किन्ने जाने मौका
कमिश्नर व पेशा किया पत्रावली नामे जवाब प्र.पत्र
दिनांक 27.04.26 को पेशा हो।

27.04.26

पत्रावली पेशा हुई वकुलाम पक्षकारान उप। जवाब
पेशा नहीं किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण को सीधे
बहस प्र.पत्र पर सुना गया प्र.पत्र बाबत. मौका
कमिश्नर खारिज किया जाता है।

बहस प्र.पत्र 212 पर उभयपक्ष अधिवक्तागण
को सुना गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेज
रिकॉर्ड का गलीगोठि अवलोकन किया गया। जिससे
हमें इस नतीजे पर पहुंचे है कि विवादित अराजिमत
के संबंध में पक्षकारान के हकों का निर्धारण दोष
में साक्ष्य व सबूतों के परीक्षण के पश्चात् एवं
गुणावगुण के आधार पर हो सकेगा।

इसी सूरत में अनावश्यक मुकदमा बाजी
नहीं बंद एवं कानूनी पेचीदगीयां पैदा नहीं हो।
इसको ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र प्राथिम
स्वीकार किया जाता है तथा व्याजालय हाजा द्वारा
जारी शुदा अस्थाई निवेद्याज्ञा दिनांक 30.04.25
को रॉफेसला मूलवाद पुष्ट किया जाता है।

पत्रावली के सल शुमार होकर नंबर से काठ
हो. तथा संलग्न मूल वाद हो।

सप्लेण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०